

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

प्रार्थना पत्र संख्या 7A वर्ष 2020

भूरा बनाम श्योजी वगै.

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम के तामील में जारी हुए
3.06.2020	<p>मूल वाद के साथ श्री नरेन्द्र कुमार एड. ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। एक पक्षीय बहस सुनी गयी।</p> <p>एक पक्षीय बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रबल है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिपक्षीगण की तलबी जरिये नोटिस की जावे। प्रतिपक्षीगण को आगामी पेशी दिनांक 24.06.2020 तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि उक्त वादग्रस्त आराजी ख.नं. 22,23,24,25,26 वाके ग्राम खिडगी तहसील निवाई में मौके की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाये रखे। तलबी अप्रार्थीगण की जाकर पत्रावली दिनांक 24.06.2020 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक निवाई</p> <p>24/6/20 आवली पेश हुई। आज P.O. अन्य राजकार्य/प्रसासन मॉड्युल के संग अधिवान 2020 में व्यस्त है। पत्रावली अधिन आदेश दि० 3/7/20 को पेश हो।</p> <p>3/7/20 मूल वाद के साथ प्रार्थना पत्र वाकत विद्वा (कार्य) करमाया जाने पर वाकत</p>	<p><i>[Handwritten Signature]</i> 24/6/20</p> <p>Not process</p> <p><i>[Handwritten Mark]</i></p>

ख
म

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

पेश हुई। पापुगिय के
हरनाशक करवाये गये।
जिनकी तस्वीर अजिमाबु
नरेन्द्र कुमार द्वारा की गई।
अवलोकन किया गया। वाही
का वाद नोट-ब्रेस में
स्वार्ज किया जा चुका
है। अतः पापुना-पाबु
चलने का कोई अर्थविय
नही है। अतः पापु का
पापुना-पाबु स्वार्ज किया
जाता है। कावली के
खोकर नम्बर से का
खोकर कारवाय दफतर
हो।

Ruby
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेजनिंग)

राजनाथ

मानक

केशव

केसरा

हरीनाथ

रामकिशोर

अभारम

शिवकुमार

मनीष

दनुमान

शमशेर